



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082025-265599
CG-DL-E-21082025-265599

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 21, 2025/श्रावण 30, 1947

No. 522]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 21, 2025/SHRAVANA 30, 1947

वित्त मंत्रलाय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2025

आय-कर

सा.का.नि. 566(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौबीसवां संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 21कझक में,-

(क) उपनियम (4) का लोप किया जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजन के लिए “विनिर्दिष्ट निधि” पद का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में उसका है।”।

[अधिसूचना सं 136/2025/फा. सं. 370142/29/2025-टीपीएल]

रोहित सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण: आय-कर नियम, 1962 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 564(अ), तारीख 20 अगस्त, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2025

INCOME-TAX

G.S.R. 566(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Twenty-Fourth Amendment) Rules, 2025.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 21AIA,—
 - (a) sub-rule (4) shall be omitted;
 - (b) for the *Explanation*, the following *Explanation* shall be substituted, namely:—

“Explanation.—For the purpose of this rule, the expression "specified fund" shall have the same meaning as assigned to it in sub-clause (i) of clause (c) of the *Explanation* to clause (4D) of section 10 of the Act.”.

[Notification No. 136/2025/F. No. 370142/29/2025-TPL]

ROHIT SINGH, Under Secy., Tax Policy and Legislation

Note: The Income-tax Rules, 1962 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 564(E), dated the 20th August, 2025.